Seventeenth Loksabha

>

Title: The motion for the consideration of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019 (Motion adopted and Bill passed).

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): श्री अमित शाह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष जी, ये दो यू.टीज़. जनसंख्या में बहुत छोटे हैं । दोनों को मिलाकर वहां 5,80,000 जनता है । इन दोनों यू.टीज़. में अधिकारीगण भी तीन दिनों के लिए एक जगह रहते हैं और दो दिनों के लिए दूसरी जगह रहते हैं । अधिकारी भी रेगुलर बैठते नहीं हैं । इसके कारण वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जनता की सेवा ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है । इसके साथ-साथ प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट वर्कर्स की प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने दोनों यू.टीज़. को एक करने का निर्णय लिया है । जनता की अच्छी तरह से सेवा करने, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनिएंट और स्पीडी डेवलपमेंट के लिए यह किया गया है । जो दो छोटे-छोटे यू.टीज़. हैं, उन्हें मिलाकर हमारी सरकार एक करना चाहती है और उनका अच्छी तरह से डेवलपमेंट करना चाहती है ।

दादरा और नागर हवेली की पॉपुलेशन 3.43 लाख है तथा दमण और दीव की पॉपुलेशन 2.43 लाख है । दोनों को मिलाकर करीब 5,80,000 की जनता है । इन दोनों यू.टीज़. को मिलाकर एक यू.टी. करके हम आने वाले दिनों में काम करना चाहते हैं । कम पॉपुलेशन होने के कारण वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम करने के लिए हम यह काम करना चाहते हैं ।

आप सब लोगों को मालूम है कि हम वहां आने वाले दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं देना चाहते हैं । दमण में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, तीन दिन अधिकारी मिलते हैं और हफ्ते में बाकी दिन दूसरी जगह दादरा और नागर हवेली में जाते हैं । मंगलवार और गुरुवार को दादरा और नागर हवेली में अधिकारी बैठते हैं । इसके कारण वहां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहते हैं । एडवाइजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं रहते हैं । वहां फाइनैंस सेक्रेटरी भी नहीं रहते हैं । हेल्थ सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी भी नहीं रहते हैं । इस तरह सभी सेक्रेटरीज अलग-अलग जगहों पर तीन दिनों के लिए और दो दिनों के लिए बैठते हैं । इसके साथ-साथ गुजराती और मराठी भाषा में ज्यादा बोलने वाले लोग दो जगहों पर हैं । इससे पहले इसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए । ये पुर्तगालियों के अन्डर थे । फिर पुर्तगालियों से गोवा को आज़ादी मिली ।

उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा । वहां गोवा के लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे दो यू.टी स्टेट्स थे । अभी भी हम मानते हैं कि गोवा के लेफ्टिनेंट जनरल का एक्स-ऑफिसियो एडमिनिस्ट्रेटर ने वर्ष 1962 से लेकर वर्ष 1987 तक काम किया । मैं इस सदन से यही उम्मीद करता हूं और आप लोग भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन दोनों यू.टीज़ को मिलाकर एक यू.टी. बनाना चाहते हैं । हम वहां अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को भी हम वहां अच्छी तरह से लागू करना चाहते हैं । इसके लिए हमारी सरकार ने यह कदम उठाया है । इस बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि Daman and Diu were liberated from Portugese rule by the Indian forces in December 1961. From 1961 to 1987 Daman and Diu were part of the Union Territory of Goa, Daman and Diu. When Goa became a State in 1987, Daman and Diu were made separate Union Territories. गोवा को जब सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया, तो वहां दो यू.टीज़ स्टेट्स बने थे । Lt. Governor of Goa, Daman and Diu was also ex-officio Administrator of Dadra and Nagar Haveli from 1962 to 1977. अभी इन ऑफिसर्स का दो जगहों पर रहने के कारण ठीक तरह से डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है । हमारी सरकार वहां पूरा डेवलपमेंट करना चाहती है । इसके लिए वहां की जनता

भी बहुत सालों से चर्चा कर रही है । उनकी बहुत दिनों से डिमांड है कि दो यू.टीज़ को मिलाकर एक बनाना चाहिए । अगर दोनों यू.टीज़ को मिलाकर एक बनाया जाए, तो ठीक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा । यह वहां की जनता की डिमांड है । जनता की इस डिमांड को देखते हुए, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इन दो यू.टीज़ को मिलाकर एक बनाया जाए । इसके लिए मैं सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग यूनैनमस्ली इसको पास कीजिए, क्योंकि यह एक छोटा विषय है ।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> " कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, मैं दादरा और नागर हवेली का प्रतिनिधित्व करता हूं । जैसा यहां मंत्री महोदय ने बताया कि अच्छे के लिए आप यह काम करने जा रहे हैं । मैं भी समझता हूं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार हमारे दोनों प्रदेशों के उज्ज्वल भविष्य के लिए यह कदम उठा रही है । दोनों प्रदेशों के लोगों का अच्छी तरह से विकास हो, इस दिशा में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कुछ कदम उठाएंगे । इसको मैं मान सकता हूं ।

महोदय, सरकार की तरफ से जो यह बिल लाया गया है, वह दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक यू.टी. करने के लिए है । इस बिल का मैं समर्थन करता हूं । वैसे तो दादरा नागर हवेली और दमन दीव के लोग काफी सालों से एक मधुर संबंध से बंधे हैं । चाहे प्रसंग कैसा भी हो, अच्छा प्रसंग हो, खुशी का प्रसंग हो, तब भी हम उनके यहां जाते हैं । हमारे लोग वहां जाते हैं, उनके किसी भी प्रसंग में शामिल होते हैं और उनको सहयोग करते हैं । उसी प्रकार से अगर

दुख का प्रसंग हो, तो उसमें भी वहां के लोग हमारे यहां आते हैं, हमारे परिवार से मिलते हैं और हमारे परिवार के लोग भी उनके यहां जाते हैं । इस प्रकार से हमारा जो संबंध है, वह बहुत पुराना है, बहुत मधुर है । मैं यह समझता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो फैसला किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं । आपने इन दोनों प्रदेशों के लोगों को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है । हमारे दो घर थे, आपने उन दोनों घरों को एक घर बना दिया । मैं समझता हूं कि उससे हमारा घर ज्यादा मजबूत होगा और उसकी आवाज भी ज्यादा मजबूत होगी । महोदय, मैं दादरा नागर हवेली से बिलाँग करता हूं । दादरा नागर हवेली के इतिहास के बारे में मैं दो-तीन लाइन बताना चाहता हूं । जैसा मंत्री महोदय ने बताया है, वह बिल्कुल सही है कि we were under Portugal rule. वर्ष 1954 में दादरा नागर हवेली मुक्त हुआ और यह वर्ष 1954 से वर्ष 1961 तक एक स्वतंत्र देश की तरह रहा ।

हम भारत के साथ जुड़े हुए नहीं थे । वहां की पंचायत का नाम वरिष्ठ पंचायत था । उसी वरिष्ठ पंचायत ने वहां शासन किया । हम गुजरात के शासन के आभारी हैं, क्योंकि गुजरात के शासन के अधिकारी हमें सहयोग करने आते थे । वर्ष 1954 से 1961 तक यह एक अलग देश बन कर रहा । वर्ष 1961 में दादरा और नागर हवेली भारत के साथ मर्ज हुआ । उस समय एक आईएएस आफिसर मिस्टर बदलानी थे, उनको दादरा और नागर हवेली का एक दिन का प्रधान मंत्री बनाया गया । वह दादरा और नागर हवेली का प्रधान मंत्री अपने डेलीगेशन के साथ यहां दिल्ली आया और उसकी भारत सरकार के साथ बैठक हुई । भारत सरकार के प्रधान मंत्री और दादरा और नागर हवेली के प्रधान मंत्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ और उसी करार के तहत दादरा और नागर हवेली वर्ष 1961 में भारत का हिस्सा बन गया, भारत के साथ मर्ज हो गया । यह हमारी हिस्ट्री है ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दादरा और नागर हवेली एक आदिवासी क्षेत्र है । शुरू में यह 70 पर्सेंट आदिवासी था । आहिस्ता-आहिस्ता अब आदिवासियों की संख्या 55 पर्सेंट रह गई है । हमारी यहां की संस्कृति, परम्परा उसी समय से चली आ रही है । भारत सरकार का मैं आभारी हूं कि भारत

सरकार ने उसी समय से हमारे आदिवासियों को आरक्षण देने का काम किया, चाहे वह नौकरियों में आरक्षण हो और हमारी जो लोक सभा की सीट है, उसमें भी हमें आरक्षण है । हमारी सीट आरक्षित है । मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दीं । बीच में भी भारत सरकार की तरफ से ऐसे एनाउंसमेंट हुए, जिनका उद्देश्य यह था कि उस क्षेत्र का विकास हो, रोजगार बढ़े, प्रगति हो, लोग आगे आएं । यह उनका उद्देश्य था, उनकी इच्छाशक्ति थी, जिसकी वजह से वहां पर हमें काफी इनसेंटिव्स मिले । वहां उद्योग आए और आज ऐसी स्थिति है कि वहां काफी अच्छी संख्या में उद्योग हैं, रोजगार हैं । रोजगार की कमी भी है, लेकिन रोजगार भी है, विकास भी हुआ है, हम काफी आगे बढ़े हैं ।

मेरी भारत सरकार से, खास कर आदरणीय गृह मंत्री जी से यह विनती है और मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस बिल में आपने कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया है । आपने दोनों लोक सभा की सीटें रखी हैं । मेरी आपसे गुजारिश है कि आदिवासियों को जो आरक्षण मिला हुआ है, वह बरकरार रहे, उसमें कोई बदलाव न हो । मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि वहां की हमारी परम्परा और संस्कृति बनी रहे ।

इसके साथ-साथ मैं दमन और दीव के लोगों के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं । यह बात सही है कि हमारी भाषा एक है, कल्चर एक है । हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधान मंत्री जी भी गुजरात से आते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी भी गुजरात से आते हैं । हम गुजरात के बिल्कुल पड़ोस में हैं । हमारी भाषा भी गुजराती है । मैं समझ सकता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी की यह इच्छाशक्ति रही होगी और यह उद्देश्य रहा होगा कि इन दोनों प्रदेशों का हम उज्ज्वल भविष्य बनाएंगे । इसी इच्छाशक्ति से आपने यह निर्णय लिया है ।

दमन और दीव के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि दमन और दीव के लोग भी अच्छे लोग हैं । जैसा मैंने बताया कि काफी समय से हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं । दमन और दीव के लोगों की जो परम्परा है, संस्कृति है, वह भी बनी रहे । वहां

जो भी सहूलियतें दी हैं, जो भी इंसेटिव दमन और दीव के लोगों को दिया है, वह भी बरकरार रहे, कन्टीन्यू रहे, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं । अंत में, मेरी एक बहुत अहम विनती है, गुजारिश है । हमारे लोगों की मांग है कि अब तो दोनों यूनियन टेरेटरीज एक समान हो गईं । दो टेरेटरी से एक टेरेटरी हो गई । हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई और हमारा एरिया भी बढ़ गया ।

हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भारत सरकार के लिए भी बहुत अच्छी बात है । दोनों टेरिटरीज मिलकर हर साल पांच हजार करोड़ का रेवन्यू भारत सरकार को देती हैं । हमारी रेवन्यू की आय बहुत स्ट्रांग है । इसे देखकर दोनों प्रदेशों के लोगों ने एक मांग रखी है कि दोनों टेरिटरीज को विधान सभा दी जाए । हम कोई बड़ी विधान सभा की बात नहीं करते हैं । पांडिचेरी को विधान सभा मिली है । उसी तर्ज पर दोनों प्रदेशों के लिए विधान सभा का गठन हो । हमें विधान सभा मिले, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं । मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं, सन 2014 से हमारी मांग जायज है, इसका प्रमाण है । सन 2014 में होम मिनिस्ट्री की स्टैन्डिंग कमेटी बनी थी । आज के आदरणीय पूर्व उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी । कमेटी ने दादरा और नागर हवेली का दौरा किया था । उस दौरे का एजेंडा था, कमेटी ने रिकमंड किया, फरवरी, 2014 में यह रिपोर्ट राज्य सभा के टेबल पर ले भी हुई, यह 108वीं रिपोर्ट थी । उस कमेटी ने 2014 में रिकमंड किया था, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं "The Committee find merit in the popular demand for creation of an Assembly for the UTs and desired that the Government of India may look into this matter on the line of Puducherry." यह रिपोर्ट राज्य सभा में भी ले हुआ है । कमेटी ने रिकमंड इस बात पर किया कि इसमें बिल्कुल मेरिट है । उस कमेटी ने दोनों टेरिटरीज को विधान सभा दिए जाने की सिफारिश की थी ।

आखिर में, देश के आदरणीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी विनती है कि हमारे लोगों की जो मांग है, भविष्य में असेम्बली

देने की जो मांग है, उसे स्वीकार करें । इस बारे में भविष्य में सरकार सोचेगी । मैं माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि जैसा आपने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, आपने दो लोक सभा क्षेत्र रखे हैं, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण रखा है वह कन्टीन्यू रहे, यह मैं गुजारिश करता हूं । दोनों टेरिटरीज को एक करने के इस अह्म बिल पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं और भारत सरकार को बधाई देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: आप दोनों माननीय सदस्यों का विलय हो गया ।

श्री लालूभाई बी. पटेल (दमन और दीव): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके कारण एक समानता आएगी । हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कार्यक्रम को और सक्षम बनाएगी । बिल में सभी क्षेत्रों के दोहरे कार्यों में कमी के कारण बहुत हद तक पैसे की बचत भी होगी । मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह अंतर काफी बड़ा होगा । इस बिल में सामान्य प्रशासनिक सुविधाओं का प्रस्ताव है । सभी संबंधित अधिकारी पूरे सप्ताह पांच दिन के लिए एक ही कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे । यह जनता और हमारे लिए अच्छा रहेगा । माननीय मंत्री जी ने दादरा और नागर हवेल और दमन-दीव के बारे में सारी डिटेल बता दी है । माननीय प्रधान मंत्री जी का एक और दृष्टिकोण 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' भी पूरा होगा ।

इसके पुनर्गठन से ग्रुप बी (नॉन गैजेटेड) और ग्रुप सी कर्मचारियों को उनके अपने संघ प्रदेश में ही रहने दिया जाए, उनकी ट्रांसफर न की जाए । विलय के बाद इन दोनों ग्रुप्स में जो भी नौकरी निकले, इसी संघ प्रदेश में ही मिलनी चाहिए । हमारे प्रदेश में डेली वेज़ेज़ और कांट्रेक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को रैगुलर करना चाहिए क्योंकि ये कई सालों से काम कर रहे हैं । हमारे प्रदेश के पढ़े लिखे भाई बहनों को दूसरे राज्य में नौकरी नहीं मिलती है

इसलिए मेरी मांग है कि पढ़े लिखे भाई बहनों को दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव में ही नौकरी मिले ।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नागर हवेली में 3.43 लाख और दमन-दीव में 2.43 लाख जनसंख्या है । यह खुशी की बात है कि दादरा और नागर हवेली और दमन-दीव में दो सांसदों का प्रावधान किया गया है । मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री, माननीय अमित भाई और सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं । जब दोनों प्रदेशों का विलय हो जाएगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी । इस क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग और व्यवसाय होंगे । विलय किए गए संघ प्रदेश का कुल क्षेत्र 603 वर्ग किलोमीटर होगा । इससे पर्यटन और बढ़ेगा । दमन में समुद्र, नदियां, फोरस्ट है, यह विकास के लिए महत्वपूर्ण है । दमन को सीआरजेड 2 और दीव को आईलैण्ड घोषित किया जाए । दमन से सिलवासा 35 किलोमीटर और दीव से सिलवासा 700 किलोमीटर दूर है, इसलिए इसे आईलैण्ड घोषित किया जाए । दोनों प्रदेशों में दमन और दीव में एयरपोर्ट है, इसे बढ़ाया जाए ताकि फ्लाइट से जा सकें । अभी हैलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है । मैं आशा करता हूं कि कटामरन सर्विस मुम्बई, सूरत, दीव, दमन से चालू की जाएगी, इससे टूरिज्म और बढ़ेगा ।

यह बिल कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं करता है जिसमें किसी एक सचिवालय के बंद होने का उल्लेख है । मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ दिलाना चाहता हूं कि विलय के बाद पूरे संघ प्रदेश में दमन जिला, ग्राम पंचायत, पंचायत तथा सरपंच के अधिकारों को छीना गया है, इसे वापिस दिया जाए । दीव, दादरा और नागर हवेली में अधिकार यथावत हैं, सिर्फ दमन में सरपंच की कोई पावर नहीं है । उसे पावर दी जाए क्योंकि उसे गांवों में विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है ।

दमन में म्युनिसिपल एरिया और ग्रामीण स्तर पर एफएसआई अलग है । म्युनिसिपल एरिया में एफएसआई है, वही एफएसआई पंचायत एरिया में होनी चाहिए । सभी जगह एक जैसा ही एरिया है, इसलिए अलग-अलग एफएसआई को एक किया जाए ।

मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं । जैसे मोहन भाई ने भी बताया । दमन दीव के पूरे सांसदों की मांग थी । पुडुचेरी जैसी मिनी असेम्बेली के लिए हम बहुत मांग कर रहे थे तो हमारे लिए भी एक मिनी असेम्बली होनी चाहिए । हम आशा करते हैं कि मिनी असेम्बली से अच्छा काम कर सकेंगे और हमें सरकार का आशीर्वाद भी रहेगा ।

मैं श्री नरेन्द्रभाई मोदी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से बिल को लाने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी को धन्यवाद देता हूं और इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं । हम दमन दीव की जनता की तरफ से आशा करते हैं कि आप हमें जल्द से जल्द मिनी असेम्बेली दे दें तो हमारा काम हो जाएगा और यह विकास के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा । मोहनभाई आपने तो कम बोला हम दोनों प्रदेश 7 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार को देते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Thank you, Sir. Both the hon. Members from that area have presented their views. I have some inputs for the Government. We need to understand that what is the need of this Bill which was introduced by the hon. Minister. In the year 1999, in reply to a question in the Rajya Sabha, the then Home Minister, Shri L. K. Advani Ji said that there was no proposal or no need for amalgamation of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. So, what is the need now? In 1999, the then NDA Government had taken a stand that there would be no amalgamation of these two Union Territories. And when smaller States are more progressive, more economically stronger, then, why is there this need? That is the thing. I met the ex-Member of Parliament, Ketan Patel from Daman and Diu. He was telling me that the consultation was not proper.

I would like to ask the hon. Minister how many consultations on this amalgamation or merger have been conducted by the Government of India? How many political leaders, political parties, or Panchayat leaders have been consulted? It cannot be a unilateral decision on our part, sitting in Delhi, to take over the powers of the smaller Territories. The smaller States and smaller Territories need more voice. My colleagues, both the hon. Members, who spoke about the need for an Assembly in Dadra and Nagar Haveli as well as in Daman and Diu and it needs to be considered, like the Puducherry and Delhi model, because people's representation and people's power are more important. I am sure that the hon. Minister will answer in his reply how many consultations were conducted and what was the urgency. These are my queries.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: दादा आपने भी नाम लिखाया है । अब दादर और नागर हवेली और दमन दीव एक होना चाहते हैं तो आप कहां से बीच में आ गए ।

प्रो. सौगत राय : ये प्रदेश भी देश के अंदर हैं ।

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी बतांएगे कि दादा इंटरनेशनल नेता हैं ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मोहम्मद फैजल जी ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका नहीं है, आपके लिए तो मैंने आग्रह किया था ।

…(व्यवधान)

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Thank you very much, Speaker Sir. I would like to support the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019. Being a Member of Parliament from another Union Territory, it is my responsibility to extend support for such a Bill which brings in comprehensive attention to both the Territories, and which will provide both the Territories a good scope of development. At the same time, I have some apprehensions and clarifications from the hon. Minister.

Mr. Manickam has mentioned about the need of the consultation of the people. Of course, both Members of Parliament are very happy with the way Government is going for the merger of the Union Territories. But on a larger scale, we have to see how the people are feeling on this move, and whether they are satisfied really, or not. Otherwise, the entire aspect of merging will be a failure.

The second concept of the Government for bringing this Bill is how this will affect the administrative offices of the two Union Territories. While the intention behind the Bill has been to prevent duplication of efforts and to reduce wasteful expenditure on infrastructure and manpower in the Union Territory, the Bill itself assures that the persons employed in the Union Territory as a part of All India Service which would include individuals employed in two different secretariats for two Union Territories will continue within the merged Union Territory. How would duplication of work and excessive expenditure of manpower be prevented? I expect a clarification on this from the hon. Minister.

I have a few suggestions. When two Union Territories are merged together, the budget allocation of the merged Union Territory must be comparable to the added budget of individual Union Territories. There must be no shortfall of Budget. Secondly, transfer and re-deployment of service personnel working for Union Territories must be smooth and help must be given to these employees for smooth transition. Thirdly, a single unified secretariat will cater to both the Union Territories and it must be located such that it is accessible to the people from both the Union Territories.

As both the Members of Parliament have asked for a mini Assembly, I would like to mention a few points from my Union Territory also. Though we are a democratic country, we are elected representatives coming here with lot of emotions and expectations of the people, when we go back to our Union Territories, the participation of the local Member of Parliament or Panchayat in the development process is very meagre. As far as my island is concerned, I am happy with this Government. An administrator is protocol-wise the seniormost person of the island. Earlier, we had administrators only from the administrative service and IAS officers were deputed as the administrators there. Now the previous Government took a wonderful step. I was the person who initiated the discussion in previous Lok Sabha where I asked for a mini Assembly. Considering that, at least this Government has taken a step to appoint an administrator who is a politically nominated person. It does not matter which Governments come into power. Today, you are sitting in Treasury Benches. Tomorrow, it can change. But the person who is sitting at the top and who is putting his signature for the welfare of the people, must be a politically nominated person. That is what all the Members of Parliament from

Union Territories envisaged so that people's aspirations can be accumulated and finally we can give a good result to the people. Secondly, nowadays I have seen Ministry of Home Affairs is sending IAS officers. Now it has become a storage for those officers who do not fit anywhere else. They are being sent to Lakshwadweep. Earlier, we had only two IAS officers and it worked in a good way. Now, there are four to five officers in Lakshadweep which has resulted in the backward movement of the island. The file is moved from area to area and finally when it reaches the conclusion, it is delayed like anything. Please do not send more IAS officers to Lakshwadweep. There are only two sanctioned posts of IAS officers here. Do not send more than two officers.

I am concluding with an important point. The hon. Home Minister is also sitting here. I know all the officials of Home Ministry are here. I raised the same matter in the Zero Hour stating why Lakshadweep was dragged back before. I blame Congress for that. Since 1995, the administration of Lakshadweep has been taken care of by the DANICS service. The Government of India sends DANICS officers. There are 13 in-cadre posts in Lakshadweep.

For almost all of these 13 encadered posts, new entry cadre officers who are joining the service for the first time are being chosen and sent to Lakshadweep. By the time they reach there, they are not familiar with the Government service. They come to study the things. They are there for a maximum of two years. After two years, these officers go back and a new bunch of officers come in. As a result of this, long-term perspective development never happens in Lakshadweep because of the frequent change of officers. So, my suggestion is this. The local son of the soil should be encadred into the DANIC Service so

that the officer who is appointed to the Director post which is key in the development process can understand the local language very well and continue in that service for long. The officers who come from outside always want to go back since this is a far-off place. They somehow want to serve their two-year service and run back to Delhi. Such officers never contribute in a bigger way to the development of the island.There are a lot of other issues but this is not the time to raise them. I am very much supporting this Bill. Kindly look into Lakshadweep also and kindly give us a mini Assembly which is very much essential for development.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सर, दो मिनट में नहीं होगा ।

माननीय अध्यक्ष : आपका समय एलॉटमेंट दो मिनट ही है ।

प्रो. सौगत राय : सर, मुझे कुछ बोलना है, आप सुन लीजिए ।

प्रो. सौगत राय: सर, मैं यूनियन टेरिटरीज बिल पर बोल रहा हूं । मुझे अपने बचपन की याद आती है, तब कोलकाता के रास्तों पर जुलूस निकलता था – 'गोवा, दमन, दीव छोड़ो, अभी छोड़ो, जल्दी छोड़ो ।' आप शायद जानते होंगे कि बंगाल के बहुत से लोग गोवा की लिबरेशन के लिए गोवा गए थे, अरेस्ट हुए थे । हमारे त्रिदिब चौधरी ने सालाज़ार की जेल में 19 महीने बिताए थे । उनकी ही पार्टी थी आरएसपी । तब उन लोगों ने वहां पर जो कष्ट सहा था, उनको मैं याद करता हूं ।

17.46 hrs (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

मैं जवाहर लाल नेहरू जी के प्रति श्रद्धा जताता हूं, उन्होंने ही दिसम्बर, 1961 में हिन्दुस्तानी सेना गोवा में भेजी । अगर वह सेना नहीं भेजते तो गोवा कभी आजाद नहीं होता और गोवा के साथ दमन-दीव भी आजाद हो गए । इसके पहले वर्ष 1954 में दादरा-नागर हवेली के लोगों ने खुद को आजाद कर लिया था । जब जवाहर लाल नेहरू जी ने गोवा को आजाद करा दिया, तब गोवा, दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली, सभी आजाद हो गए । गोवा बाद में एक राज्य बन गया, दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया । मोहन देलकर जी की जो मांग है कि दमन-दीव और दादरा-नागर हवेली में विधान सभा होनी चाहिए, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं । मैं यह सोचता हूं कि लक्षद्वीप और अण्डमान-निकोबार में भी पुदुच्चेरी जैसा इलेक्टेड लेजिस्लेचर, मिनी लेजिस्लेचर होना चाहिए । हिन्दुस्तान में कोई भी यूनियन टेरिटरी ऐसी नहीं रहनी चाहिए, जहां पर रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट न हो । अमित शाह जी नौजवान हैं और गृह मंत्री हैं, आशा करता हूं कि इस बात पर वह दिशा दिखाएंगे ।

सर, दमन-दीव प्रॉसपरस है । जैसा देलकर जी ने बताया है, वह 5000 करोड़ रुपये रेवेन्यू देता है । वहां पर 1992 से टैक्स हॉलीडे था और वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई । वह गुजरात से लगा हुआ है तो दमन के दो एडवांटेजेज हैं । गुजरात के जो लोग दारू पीना चाहते हैं, दमन में जाते हैं और वहां अच्छे सी-बीचेज़ हैं, वहां अच्छे चर्च हैं और एक्साइज से भी बहुत रेवेन्यू दमन में आता है । दादरा-नागर हवेली की पापुलेशन ज्यादा है, वहां दो लाख वोटर्स हैं और दमन-दीव में वोटर्स की संख्या डेढ़ लाख है । दोनों छोटे-छोटे संसदीय क्षेत्र हैं । मैं यही कहना चाहता हूं कि एनडीए सरकार की एक टेंडेंसी है, ये मर्ज करते हैं, इसका जाइगैंटिज्म बोलते हैं । अभी पांच बैंक्स को एक साथ मर्ज कर दिया । चार टेरेटरीज़ को एक साथ किया, लेकिन शूमाकर की किताब 'स्माल इज ब्यूटीफुल' उन्हें पढ़नी चाहिए । जितना छोटा प्रांत होगा, उतना अच्छा प्रशासन होगा । मैं तो सपोर्ट करूंगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए ।

महोदय, अंत में मुझे एक बात ही कहनी है कि गृह मंत्री जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के लोगों को खतरा है, इसलिए सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दिया । मैं इससे सहमत नहीं हूं । यह सही नहीं है । बंगाल में सभी लोग सुरक्षित हैं । उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है । इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to put forth our YSRC Party's views on the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union Territories) Bill, 2019. The Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and the Union Territory of Daman and Diu are both former Portuguese territories on the western coast of India. The former came into existence as a separate territory in 1961 and the latter in 1987. Both these territories, though are separate entities, share similar history, language and culture due to the common background and also have a similar administrative set up.

They both came under the AGMUT cadre for All India Services, and thus have a common pool of officers undertaking administrative work in both the territories based on work allocation. Further, there are common Secretaries to various Departments, Chief of Police and Chief Conservator of Forest in both the Union territories. The development schemes and policies are also similar in these territories with similar challenges and realities. In spite of the existence of such similarities, since they exist as two separate Union territories, a common secretariat and departments do not exist. Each of these separate secretariats and parallel departments is sustained through tax-payers' money which we feel is an unnecessary burden. The manpower and infrastructure

implications of these separate entities seem redundant in the spirit of 'Minimum Government, Maximum Governance'.

-

17.52 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

To further elaborate on the problem, the administrators, secretaries and HODs have to alternate between the two Union territories as they function in both these places. Such a scenario impacts the multiple stakeholders involved. Needless to say, the current situation leads to inefficiency and unjustified expenditure along with the duplicacy and coordination problems. These problems are in terms of the interactions within these two Union territories.

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : अध्यक्ष जी, इस बिल पर मेरे साथी मंत्री ही जवाब देंगे, लेकिन मैं रेकार्ड क्लीयर करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी दादा सदन में बोल रहे थे और उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी का धन्यवाद दमन-दीव, दादरा और नागर हवेली की स्वतंत्रता के लिए किया । मैं एक वास्तविक चित्र सदन के सामने रखना चाहता हूं । गोवा, दमन दीव और दादरा-नागर हवेली को वर्ष 1954 तक, आजादी के सात वर्षों के बाद भी पुर्तगाली शासक सालाजार ने स्वतंत्र नहीं किया था । सरकार ने इस विषय में कोई इंटरवेंशन नहीं किया था । हैदराबाद में जैसे पुलिस एक्शन हुआ, इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की थी । उस वक्त बाबा साहब पुरंदरे, सुधीर फड़के, राजाभाई बाकणकर,

भोसले, मिलिट्री स्कूल के मेजर प्रभाकर कुलकर्णी, बिंदु माधव जोशी आदि 25-30 साल के युवकों ने कमेटी बनाई । इन्होंने आंदोलन किया और इन लोगों के आंदोलन के कारण ही दादरा-नागर हवेली स्वतंत्र हुआ । मैं तो बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन रेकार्ड क्लीयर करना चाहता हूं । मैं यही कह रहा हूं कि... (व्यवधान)

श्री मोहनभाई सांजीभाई देलकर : सर, दादरा और नागर हवेली के बारे में भी बता दें ।

श्री अमित शाह : मैं आगे आता हूं । उस वक्त पैसों की कमी थी तो पैसा कहां से आएगा? श्री सुधीर फड़गे ने लता जी से रिक्वैस्ट की और पुणे के हीराबाग मैदान में इसके लिए लता मंगेशकर जी ने 'लता मंगेशकर रजनी' करके एक कार्यक्रम किया । इससे एक बड़ा एमाउंट इकट्ठा हुआ और फिर दादरा और नागर हवेली 2 अगस्त को आज़ाद हुआ और वहां पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया । आपने नेहरू जी को सीधा यश दिया, उनका भी यश है क्योंकि वे प्रधान मंत्री थे । लेकिन इन लोगों का योगदान है, जिन लोगों ने जान की बाजी लगाकर दादरा नागर हवेली को आज़ाद कराया था । उसके बाद भारतीय सेना द्वारा 1961 में दमन और दीव को भी स्वतंत्र कर दिया गया और जैसा कि देलकर साहब ने बताया कि इसका मर्जर एक एग्रीमेंट के तहत भारतीय संघ में हुआ । यह रिकार्ड क्लिअर करने के लिए मैं खड़ा हुआ था । ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, मैं कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधान) गोवा की आज़ादी के लिए...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : राम मनोहर लोहिया जी और चौधरी साहब का भी इतना ही योगदान है मगर आप पहले सुनिये । ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आपके मुंह से होगा तो अच्छा होगा ।

श्री अमित शाह : आपने पहले सिर्फ जवाहर लाल नेहरू जी का नाम बोला, इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ कि आज़ादी तो इन युवाओं ने दिलवाई

थी । …(व्यवधान) संविधान प्रदत्त आरक्षण ये दोनों मर्ज हुए संध प्रदेशों के अंदर …(व्यवधान) as it is रहेगा, उसमें कोई बदल नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे तो सब बिल से संतुष्ट हो गये हैं, आप कहें तो पास करा दूं?

…(व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष जी, मोहन भाई जी, लाल भाई पटेल जी, मो. फ़ैजल जी, प्रो. सौगत राय जी, आप सभी ने अपने-अपने सुझाव दिये हैं । मुझे खुशी है कि सभी लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है । मैं सभी लोगों को सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर सभा की सहमति हो तो सभा का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए । मैंने शून्यकाल में कमिटमेंट किया था क्योंकि जिनका लिस्ट में नाम था, मैं उनको नहीं बुला पाया था ।

…(व्यवधान)

श्री जी.किशन रेड्डी : माननीय अध्यक्ष जी, कर्मचारियों के लिए जो आरक्षण है, कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा । जो एसटी का रिजर्वेशन है, वह ऐसे ही रहेगा । संविधान के आधार पर जो रिजर्वेशन एससीएसटी का होगा, वह रिजर्वेशन वैसा ही रहेगा । उसमें कोई बदलाव नहीं लाएंगे । नए यू.टी. का नाम दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव होगा । सबसे ज्यादा ध्यान विकास के विषय पर आने वाले दिनों में देना चाहिए कि इसका प्रपोजल दोनों यू.टीज की तरफ से भी आया है । यू.टी. के अधिकारी, यू.टी. की जनता की तरफ से ही यह प्रस्ताव आया है । इधर दिल्ली में बैठकर हमने नहीं

किया है । वहां से प्रस्ताव आया है । उस प्रस्ताव के आधार पर ही सरकार ने यह कदम उठाया है । यह बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ।

दूसरे, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, हम उनको ज्यादा इम्पलीमेंट करना चाहते हैं । अभी दोनों माननीय सांसदों ने भी बताया है कि ठीक तरह से इम्पलीमेंटेशन हो । आज की स्थिति में हम ऑफिसर्स अवेलेबिलिटी सुगम होने के कारण, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अधिकारी दो दिन एक जगह बैठते हैं और तीन दिन एक जगह बैठते हैं, इसके कारण वे ध्यान नहीं दे पाते हैं । इधर से उधर टहल करते रहते हैं, इसके कारण जो स्कीम्स हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं । इसलिए आने वाले दिनों में ऑफिसर्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट और यू.टी. की स्कीम्स को ठीक तरह से इम्पलीमेंट करें जिससे जनता का विकास हो । यह विषय भी आप लोगों को बताना चाहता हूं । जो कर्मचारी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 श्रेणी में हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा । नई यू.टी. आने के बाद भी एम्पलाईज का रिस्क सिक्योरिटी, एम्पलाईज के राइट्स की देखभाल ठीक तरह से करेंगे ।

18.00 hrs

लोक सभा की दोनों सीट्स में कोई चेंज नहीं होगा । लोक सभा सीट्स को ऐसे ही जनता की सेवा करते रहनी चाहिए । लोक सभा में आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, जैसे हाई-कोर्ट्स लीगल हैं । जो मुंबई का हाई-कोर्ट है, अभी वह मुंबई का हाई-कोर्ट ही काम करेगा । वैसे ही जो लीगल समस्या पेंडिंग है, वह लीगल समस्या हल होगी और एगज़िस्टिंग लॉ ही उसमें इम्प्लिमेंट होगा । उसमें कोई बदलाव नहीं है । केवल एडमिनिस्ट्रेशन कनविनिएंट, स्पीडी डेवलपमेंट, इम्पिलमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्ज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्ज़ – ये मर्जर हुआ है । इसलिए, आप सबको इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए । मैं

फिर एक बार सरकार की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं । मैं यूनेनिमसली इस बिल को पास करने की रिक्वेस्ट करता हूं ।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, 'न' में शायद कोई नहीं है । इसमें सर्वानुमति है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सर्वसम्मति से है । अब इसमें एक नया क्लॉज़ भी लाना पड़ेगा कि जब सर्वसम्मति हो तो नया संशोधन/नियम बनाना पड़ेगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 8 Extension of jurisdiction of High Court of Bombay

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, यह हमारे देश की खूबसूरती है, हमारी पार्लियामेंट की, हमारी डेमोक्रेसी की, कि अपने दमण और दीव के भाइयों के लिए पंजाब का एक सिख यहां बात कर रहा है । यह हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ।

I beg to move:

"Page 3, line 9,--

after "Diu"

insert "with the establishment of a permanent bench at Daman". (1)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 12 Right to recover loans and advances

माननीय अध्यक्ष : श्री जसबीर सिंह गिल, क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI JASBIR SINGH GILL : I beg to move:

"Page 3, line 32,--

after "Diu"

insert "and that all borrowings and loans taken by both of these Union Territories before the appointed day shall be repaid or taken over by Union Government thereby making the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu debt free." (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 13 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री जी. किशन रेड्डी : माननीय स्पीकर महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल लिया जाएगा ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब शून्य काल । माननीय सदस्यगण, सोमवार और मंगलवार को जिन लोगों के नाम लिस्टेड थे और शून्य काल नहीं हो पाया था । उन सबको भी आज अवसर दिया जाएगा ।